मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 5–2/2015/1/9 भोपाल दिनांक 16/3/2017

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश ।

विषयः– शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली समय पर लिखें जाने के संबंध में।

संदर्भः– इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 5–4/99/9–1 दिनांक 13.1.99, 22/3/2006, 5/4/2007, 23/06/2008, 4/5/2009, ,20/05/2010, 26/4/2011, 23/06/2012, 02/05/2013, 12/03/2015, एवं 28/01/2016,।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्रों का अवलोकन करें। जिनके द्वारा शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली लिखे जाने के संबंध में निम्नानुसार समय–सीमा निर्धारित की गई है :–

1.	सेल्फ असेसमेन्ट प्रस्तुत करने की अवधि	30 अप्रैल,
2.	प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन	15 मई
3.	समीक्षक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन	31 मई
4.	स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा मतांकन	15 जून

2/ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 23 जुलाई, 2014, 28 अप्रैल, 2015, 10 नवम्बर, 2015 में शासकीय सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन के प्रकटन एवं श्रेणी उन्नयन किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। गोपनीय प्रतिवेदन में पूर्ण रूप से मतांकन होने के पश्चात संबंधित शासकीय सेवक को प्रकटन किये जाने के उपरांत संबंधित कार्यालय को प्रेषित किये जाएँ।

3/ विभाग द्वारा बार–बार निर्देश जारी किये जाने के बाद भी कतिपय विभागों में शासकीय सेवकों के गोपनीय प्रतिवेदन उक्त निर्धारित समय–सीमा में नहीं लिखे गये है। इससे शासन के निर्देशों की अवहेलना हुई है।

4/ अधिकारी द्वारा स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में प्रतिवेदक अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किये जाने पर मतांकनकर्ता अधिकारी यह टीप अंकित करते हुये कि स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, संबंधित अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में अपना मतांकन करेगें, साथ ही संबंधित अधिकारी से स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत न किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यवाही हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत करेगें।

5/ अतः कृपया आपके विभाग के अंतर्गत समस्त शासकीय सेवकों की वर्ष 31.3.2017 को समाप्त होने वाली अवधि की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली निर्धारित समय–सारणी अनुसार अनिवार्य रूप से लिखी जाना सुनिश्चित किया जाये, साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाये कि गोपनीय प्रतिवेदन में स्वमूल्यांकन या मतांकन के समय तिथि का उल्लेख निश्चित रूप से किया जाए।

6/ समयावधि में गोपनीय प्रतिवेदन नहीं लिखने वाले प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारियों से विलंब के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाकर संबंधित दोषी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर उनके गोपनीय प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाये।

7/ उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(सीमा शर्मा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 5–2/2015/1/9 भोपाल दिनांक 16/3/2017

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय की ओर सूचनार्थ।

15.3.2017

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग